

निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 192/2024 (धारा 14 सिक्कुरिटाईजेशन)
आवास फाईनेशियर्स लि. (पूर्व नाग एयू हाउसिंग फाईनेन्स लि.) पंजीकृत कार्यालय 201-202 द्वितीय
पलोर साउथ एण्ड स्वचायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

- श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री भगवान
पता :- प्रताप विहार, कल्याणपुरा, जयपुर।
एवं प्लॉट नम्बर 5, रिद्धी सिद्धी नगर-डी, मुहाना, तहसील सांगानेर, जयपुर।
- श्री भगवान पुत्र श्री बालूराम
पता :- प्रताप विहार, कल्याणपुरा, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :- श्री नरपत सिंह अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक : 13.06.2024

- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.07.2021 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती विमला देवी के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नम्बर 5, आवासीय योजना रिद्धी सिद्धी नगर-डी, ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 58.33 वर्गगज को बंधक रख कर कुल राशि 09,25,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.03.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
- प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी को कुल राशि 09,25,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थी ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बंधक रखी है। अप्रार्थी का ऋण खाता एन पी ए

५४०
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि गय ब्याज कुल 09,50,955/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थी को दिनांक 06.03.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थी द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

4. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती विमला देवी के स्वामित्व की बन्धक संपत्ति प्लॉट नम्बर 5, आवासीय योजना सिद्धी सिद्धी नगर-डी, ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 58.33 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट गिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल हो।



आदेश आज दिनांक 13.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

प्रकाश राजपुरोहित

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर